



# हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय Central University of Himachal Pradesh

कैंप कार्यालय, जिला-काँगड़ा, हिमाचल प्रदेश-176215

CAMP OFFICE, DISTRICT KANGRA, HIMACHAL PRADESH – 176215

Tel. 01892-229574, 229330; Fax 01892-229331; Email: registrar.cuhp@gmail.com;

Website: www.cuhimachal.ac.in

फा.सं. 1-6/हि.प्र.के.वि./सा.प्र./2010/खंड XII/वेबसाइट

दिनांक: 15.04.2020

## सूचना

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश सं. 40-3/2020-DM-I(A) दिनांक 15.04.2020 तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, हिमाचल प्रदेश के आदेश सं. HFW-A-A(3)1/2020 दिनांक 14.04.2020 का अनुपालन करते हुए और प्रशासन द्वारा लागू कर्फ्यू को देखते हुए हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय की सूचना सं.1-6/हि.प्र.के.वि./सा.प्र./2010/खंड XII/वेबसाइट दिनांक 22.03.2020 और सूचना सं. 1-6/हि.प्र.के.वि./सा.प्र./2010/खंड XII/वेबसाइट दिनांक: 15.04.2020 के क्रम में यह सूचित किया जाता है कि:

1. हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा सभी शैक्षणिक / शिक्षकेतर कर्मियों / शोधार्थियों द्वारा **03.05.2020 तक 'घर से कार्य' (Work from home)** की अनुमति एवं सलाह दी जाती है।
2. कृपया सभी शैक्षणिक / शिक्षकेतर कर्मियों / शोधार्थी दूरभाष / मोबाइल / ईमेल पर कार्यालय समय के दौरान उपलब्ध रहें ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनसे निर्बाध संपर्क किया जा सके।
3. कृपया आगामी निर्देश के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट को देखते रहें।
4. वेबसाइट पर यह सूचना माननीय कुलपति के आदेशानुसार अपलोड की गई है।

(डॉ. संजीव शर्मा)  
कुलसचिव (अतिरिक्त प्रभार)

पृष्ठांकन : समसंख्या

दिनांक: 15.04.2020

प्रति : कृपया निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक आगामी कार्रवाई हेतु

1. प्रति-कुलपति, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला, जिला – काँगड़ा (हि.प्र.)
2. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला, जिला – काँगड़ा (हि.प्र.)
3. परीक्षा नियंत्रक, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला, जिला – काँगड़ा (हि.प्र.)
4. विश्वविद्यालय के सभी स्कूलों/विभागों/केंद्रों/चेयर के अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष/निदेशक/चेयर प्रोफेसर
5. वित्त अधिकारी, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला, जिला – काँगड़ा (हि.प्र.)
6. सभी विभागों/केंद्रों के शिक्षकगण / शिक्षकेतर कर्मियों
7. सभी परिसरों के समन्वयक / निदेशक
8. सहायक निदेशक (रा.भा.) एवं कुलपति के विशेष कार्य अधिकारी – कृपया माननीय कुलपति के सूचनार्थ

कुलसचिव